



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30052026-272975
CG-DL-E-30052026-272975

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 359]
No. 359]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 29, 2026/ज्येष्ठ 8, 1948
NEW DELHI, FRIDAY, MAY 29, 2026/JYAISTHA 8, 1948

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान
(संसद के एक अधिनियम द्वारा गठित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मई, 2026

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

फा. सं. पीआर/जी/45/2019-डीडी/272/2019-बीओडी/751/2024.—चार्टर्ड अकाउंटेंट (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 14 के उपनियम (9) के साथ पठित, चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 21क(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार, अनुशासन बोर्ड ने सीए. सुरिंदर कुमार (सदस्यता संख्या 070405), मकान संख्या 342, सेक्टर 2, पंचकुला (हरियाणा) - 134112, को चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की पहली अनुसूची के भाग I की मद (4) तथा (11) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक कदाचार का दोषी पाया है और उसके परिणामस्वरूप पूर्वोक्त नियमों के नियम 15(1) के निबंधनानुसार सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात्, सीए. सुरिंदर कुमार (सदस्यता संख्या 070405) के नाम को 01 (एक) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया है। अनुशासन बोर्ड के पूर्वोक्त आदेश के अनुसरण में और पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त

शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चार्टर्ड अकाउंटेंट विनियम, 1988 के विनियम 18 के अधीन यह अधिसूचित किया जाता है कि सीए. सुरिंदर कुमार (सदस्यता संख्या 070405) का नाम 29 मई, 2026 से 01 (एक) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

सीए. (डा.) जय कुमार बत्रा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./128/2026-27]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

(Set up by an Act of Parliament)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th May, 2026

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

F. No. PR/G/45/19/DD/272/2019/BOD/751/2024.—In terms of the provisions of Section 21A(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with sub-rule (9) of Rule 14 of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Board of Discipline has held **CA. Surinder Kumar (Membership No.070405), House No 342, Sector 2, PANCHKULA (Haryana)- 134112**, guilty of Professional Misconduct falling within the meaning of Items (4) and (11) of Part I of the First Schedule to the Chartered Accountants Act, 1949 and consequently after affording an opportunity of being heard in terms of Rule 15(1) of the aforesaid Rules ordered for removal of the name of **CA. Surinder Kumar (Membership No.070405)** from the Register of Members for a period of 01(One) month. In pursuance of the aforesaid Order of the Board of Discipline and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, it is hereby notified under Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988 that the name of **CA. Surinder Kumar (Membership No.070405)** shall stand removed from the Register of Members for a period of 01(One) month with effect from 29th May, 2026.

CA.(Dr.) JAI KUMAR BATRA, Secy.

[ADV.T.-III/4/Exty./128/2026-27]